संख्या-250/2019/5004/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 03 दिसम्बर 2019

विषय:- **मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-15160/2017 आलोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-03-2019 के अनुपालन में श्री आलोक तिवारी की वर्ष 2014-15 की बी0टेक0 कोर्स की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3207/स0क0/शिक्षा-अ/02/28/2019-20, दिनांक-28.11.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-15160/2017 आलोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-03-2019 के अनुपालन में श्री आलोक तिवारी की वर्ष 2014-15 की बी0टेक0 कोर्स की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के भुगतान हेतु धनराशि **रू0-56600/-(रूपये-छप्पन हजार छः सौ मात्र)** की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-250/2019/5004(1)/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।